न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(के0के0 शर्मा, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 10/2016
प्रविष्टि दिनांक 6–6–2016

1– श्योजी पुत्र हीरा जाति गूर्जर निवासी हरीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक

बनाम

1– सूरजमल पुत्र रामकिशन जाति ब्रह्ममण निवासी हरीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
2– मूली पत्नी सूरजमल जाति ब्रह्ममण निवासी हरीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
3– भू–आवंटन सलाहकार समिति, जरिये उपखण्ड अधिकारी पीपलू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवण्टन आदेश दिनांक 15–12–2001

निर्णय **दिनांक 30–10–2019**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 15–12–2001 को भू–आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा सूरजमल पुत्र रामकिशन जाति ब्रह्ममण निवासी हरीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक व उसकी पत्नि मूली पत्नी सूरजमल जाति ब्रह्ममण निवासी हरीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक को आराजी खसरा नम्बर 261/3 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू में भूमि आवण्टन करने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवण्टन को विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए आवण्टन निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी विपक्षीगण जरिए नोटिस की जाकर आवण्टन पत्रावली मॅगवाई गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 15–12–2001 को विपक्षीगण को किया गया आवण्टन आदेश विधि–विधान तथा वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व सलाहकार समिति द्वारा मौके की जांच नही की है और गलत रूप से प्रतिपक्षी न0 1 व 2 को ख0 न0 261/3 रकबा 15 बिस्वा ग्राम हरीपूरा का आवंटन कर दिया जबकि आवंटित भूमि पर गत 30–40 साल से प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हे, जिसको बेदखल करने का समय निकल गया हे आवंटन से पूर्व कब्जे के सम्बन्ध में जांच

Scanned by CamScanner

नही की है, प्रार्थी ने उक्त भूमि को काफी मेहनत करके काश्त योग्य बनाया है, आवंटन के दिन यह भूमि रिक्त नही थी। प्रतिपक्षी न0 1 व 2 ने उक्त भूमि पर कभी भी काबिज रहकर काश्त नही की हे एवम् आवंटी पेशे से काश्तकार भी नही हे। प्रार्थी इस भूमि को अपने हक मे नियमन का अधिकारी हैं जिस पर किसी प्रकार विचार नही किया गया है। आवंटन समिति ने आवंटन करने से पहले विधिक औपचारिकताऐ पूर्ण नही की हे तथा प्रार्थी को सुना नही हे। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षर सं0 1 व 2 को किया गया आवण्टन निरस्त किया जावे।

प्रतिपक्षीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि बरवक्त आवण्टन राजकीय सिवायचक भूमि थी एंव रिक्त भूमि थी। अप्रार्थीगण को भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा नियमानुसार एंव विधिवत रूप से कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टन किया गया था। तदानुसार आवण्टी को कब्जा दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया था ओर तभी से आवण्टी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। आवण्टन के बाद नियमानुसार आवण्टी को खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं। आवण्टी ने नियमानुसार आवण्टन शर्तों के मुताबिक काश्त की है। प्रार्थीगण द्वारा 18 साल बाद आवण्टन निरस्त करवाने का प्रा0 पत्र प्रस्तुत करना मियाद बाहर है। अलाटी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है इस बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। प्रार्थना पत्र असत्य एंव मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्तनीय है, अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

उभयपक्ष के अभिभाषकों की बहस पर मनन किया एंव आवण्टन पत्रावली का तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। आवण्टन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रतिपक्षी नं0 1 सूरजमल व उसकी पत्नि प्रतिपक्षी सं0 2 श्रीमति मूली को दिनांक 15–12–2001 को ग्राम हरिपुरा के आराजी खसरा नम्बर 261/3 रकबा 15 बिस्वा भूमि का आवण्टन भू–आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवण्टन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहा है कि आवंटन की गई भूमि पर गत 30–40 साल से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवम् भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। आवण्टन पत्रावली के मुताबिक आवण्टन के समय उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि थी ओर आवण्टन के लिए उपलब्ध थी, अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति ने प्रतिपक्षी को भूमि का आवण्टन करके कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की है। यदि यह भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में थी तो प्रार्थी को तत्समय ही आवण्टन कमेटी के समक्ष अपने हको को प्रमाणित कराना चाहिये था। उक्त भूमि का आवण्टन इस आधार पर कतई प्रतिबन्धित नहीं है कि वह भूमि प्रार्थी के कब्जे में है। प्रार्थी ने ऐसा भी कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो विवादित भूमि को नियमन या आवण्टन कराने हेतु उसके द्वारा आवण्टन से पूर्व कोई कार्यवाही की हो। यदि प्रार्थी आवण्टन/ नियमन कराने की पात्रता रखता था तो उन्हें आवण्टन समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। प्रार्थी ने अथवा उनके अभिभाषक ने ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थी के द्वारा आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया होता

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.22 12:21:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: